शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

Telephone 07782-229037, Fax 07782-229037 Website: www.bvvjdp.ac.in

उतिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निवोधत

कार्यपरिषद् की 39वीं बैठक

दिनांक 27-05-2022

समय – दोपहर 12.00 बजे से

- कार्यवाही विवरण
- विषय सूची
- विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001
Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar
Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001
TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 392 /अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 27/05/2022

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रोफेसर (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह, — पदेन अध्यक्ष
   कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
2. श्री कमलाकर सिंह, — सदस्य
   पूर्व कुलपति, भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल,
   निवासी–ई–3/22, नुपुर कुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल
3. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, — सदस्य
   शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल।
4. डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं — सदस्य
   संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं कला संकाय,
   शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम, बीजापुर
5. श्री अरविंद नेताम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, — सदस्य
   कुम्हार पारा, जगदलपुर जिला बस्तर
6. डॉ. विनोद कुमार पाठक, — पदेन सचिव
   कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

7. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, — सदस्य
   शासकीय महाविद्यालय, सरोना।
8. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य,
   शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागॉव।
9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट,
   विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग
10. श्री धीरज नशीने, संभागीय संयुक्त संचालक,
    छत्तीसगढ़ कोष, लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय, जगदलपुर
11. पद्मश्री अनूप रंजन पाण्डेय,
    एच–15, सेलटैक्स कालोनी, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
12. श्री हर्षवर्धन अरोरा,
    द्वारा श्री धरेन्द्र अरोरा, कृष्णा पाटीदार भवन के पीछे, मुंगेली रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
13. श्री राजेश चौहान, क्रिकेटर,
    एम.आई.जी., सी–2338, एम.पी.एच.बी. कालोनी, इंडस्ट्रियल स्टेट, भिलाई (छ.ग.)
14. डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी संकाय,
    प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 37वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 एवं 38वीं बैठक दिनांक 05.04.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :–

सम्पूष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 37वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 एवं 38वीं बैठक दिनांक 05.04.2022 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के पटल पर रखना।

निर्णय :–

पालन प्रतिवेदन का सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 25.05.2022 को आयोजित विद्यापरिषद की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए जाने वाले निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 29.03.2022 को आयोजित कार्यपरिषद की 37वीं बैठक के विषय क्रमांक–4 के निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर में नये कुलपति की नियुक्ति हेतु कुलाधिपति द्वारा समिति गठन के लिए कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति का नाम नामित किये जाने के संबंध मे।

विभागीय टीप :–

राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, रायपुर के संलग्न पत्र क्रमांक एफ 1–1/2022/रास/यू.–8 रायपुर, दिनांक 15.02.2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर में नये कुलपति की नियुक्ति हेतु माननीय कुलाधिपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा समिति का गठन किया जाना है।

उक्त समिति गठन हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) (एक) में निहित प्रावधान–"कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति" अनुसार कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति का नाम एवं उनसे संबंधित जानकारी बायोडाटा सहित छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर को शीघ्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

श्री गिरधारी नायक, (सेवानिवृत्त आई.पी.एस. एवं डी.जी.), सदस्य एवं कार्यवाहक चेयरमेन छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग को सर्वसम्मति से निर्वाचित करते हुए नामित किया गया।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन एवं पी.जी. डिप्लोमा इन ट्राईबल आर्ट प्रारंभ करने की अनुमति सशर्त दिया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–34/2021/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05.04.2022 के द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन एवं पी.जी. डिप्लोमा इन ट्राईबल आर्ट प्रारंभ करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किया गया है :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रम स्वयं के आय के स्त्रोतों से संचालित किया जावेगा।
2. प्रवेश प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार संपादित होंगे।
3. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्रति पाठ्यक्रम न्यूनतम रू. 30,000/– (रू. तीस हजार) की पुस्तकें क्रय किया जाना चाहिए, जिससे प्रवेशित विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु सामग्री उपलब्ध हो।
4. प्रस्तावित दोनो पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक लैब का निर्माण किया जावे।
5. पाठ्यक्रम निर्माण में गुणवत्ता के साथ स्थानीय परिस्थितियों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

अपर संचालक (वित्त) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के संलग्न पत्र क्रमांक/461/129/आउशि/बजट/2022 रायपुर, दिनांक 08.03.2022 द्वारा अवर सचिव, छ. ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–2/2022/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.02.2022 के अनुसार प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, नारायणपुर, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीजापुर, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सुकमा, शासकीय कन्या महाविद्यालय, कोण्डागॉव एवं शासकीय महाविद्यालय, जावंगा, जिला–दन्तेवाड़ा के संबंधित जिला मुख्यालय में रूसा मद से निर्मित आदर्श आवासीय महाविद्यालय भवन में संचालित करने की सहमति प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार महाविद्यालय के नाम में संशोधित किया गया है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का परिवर्तित/नवीन नाम	भवन का विवरण
1	2	3	4
1	शासकीय कन्या महाविद्यालय, नारायणपुर	शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय, नारायणपुर	जिला नारायणपुर में रूसा मद से निर्मित आदर्श आवासीय महाविद्यालय भवन
2	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीजापुर	शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय, बीजापुर जिला–बीजापुर	जिला बीजापुर में रूसा मद से निर्मित आदर्श आवासीय महाविद्यालय भवन
3	शासकीय कन्या महाविद्यालय, सुकमा	शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय, सुकमा जिला–सुकमा	जिला सुकमा में रूसा मद से निर्मित आदर्श आवासीय महाविद्यालय भवन
4	शासकीय कन्या महाविद्यालय, कोण्डागॉव	शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय, कोण्डागॉव	जिला कोण्डागॉव में रूसा मद से निर्मित आदर्श आवासीय महाविद्यालय भवन
5	पं. दीनदयाल उपाध्याय कला एवं विज्ञान शासकीय महाविद्यालय, जावंगा	शासकीय आदर्श आवासीय महाविद्यालय, जावंगा जिला–दन्तेवाड़ा	जिला दन्तेवाड़ा में रूसा मद से निर्मित आदर्श आवासीय महाविद्यालय भवन

निर्णय :—

शासन के आदेशानुसार सरल क्रमांक 1 से 4 तक में उल्लेखित महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन किया जाय। विधिवत अधिसूचना जारी किया जाय। सरल क्रमांक 5 में उल्लेखित महाविद्यालय के नामपरिवर्तन के संबंध में।डॉ. अरूण कुमार दीक्षित, कार्यपरिषद सदस्य एवं प्राचार्य, शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जावंगा, जिला—दन्तेवाड़ा द्वारा चर्चा के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय, जावंगा, जिला—दन्तेवाड़ा के नामपरिवर्तन की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। इस आशय की सूचना छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दी जावे।

विषय क्रमांक — 7 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

वार्षिक परीक्षा मार्च—अप्रैल 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 105) के कुल देयक राशि 37,46,173.00 का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विभागीय टीप :—

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 105) देयक बिल नं. GP/02/22-23, दिनांक 14.04.2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिग, पेकिंग/विसिट/ डिलीवरी/गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि 5,57,466.24/— IGST @ 12% - 4,01,375.69, कुल 37,46,173.13 (round off- .13) कुल देयक राशि 37,46,173.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :—

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक — 8 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

वार्षिक परीक्षा मार्च—अप्रैल 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 179) के कुल देयक राशि 49,89,756.00 का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विभागीय टीप :—

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 179) देयक बिल नं. GP/03/22-23, दिनांक 19.04.2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिग, पेकिंग/विसिट/ डिलीवरी/गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि 7,42,523.28/—, IGST @ 12% - 5,34,616.76, कुल 49,89,756.44 (round off- .44) कुल देयक राशि 49,89,756.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :—

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक — 9 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

वार्षिक परीक्षा मार्च—अप्रैल 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 111) के कुल देयक राशि 18,52,531.00 का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विभागीय टीप :—

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिग (सेट 111) देयक बिल नं. GP/06/22-23, दिनांक 01.05.2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिग, पेकिंग/विसिट/ डिलीवरी/गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि 2,75,674.32/—, IGST @ 12% - 1,98,485.51, कुल 18,52,531.43 (round off- .43) कुल देयक राशि 18,52,531.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :—

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक .– 10 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल 2022 के प्रश्न पत्र रि–प्रिंटिग (re-printing) (सेट 10) के कुल देयक राशि– 1,24,458.00 का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र रि–प्रिंटिग (re-printing) (सेट 10) देयक बिल नं. GP/07/22-23, दिनांक 03.05.2022, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिग, पेकिंग/विसिट/ डिलीवरी/गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि 18,520.56/–, IGST @ 12% - 13,334.80, कुल 1,24,458.16 (round off (-) 16, कुल देयक राशि– 1,24,458.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 11 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन प्रदाय लिये गये प्रश्न पत्र का देयक क्रमांक 414 दिनांक 10/03/2022, (जुलाई–दिसम्बर एवं जनवरी–जून 2020 व 2021) का कुल देयक राशि 1,31,306.00 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन प्रदाय किये गये प्रश्न पत्र का विवरण इस प्रकार हैं–

1.	ऑनलाइन प्रश्न पत्र (जुलाई–दिसम्बर 2020)	राशि– 35505.00
2.	ऑनलाइन प्रश्न पत्र (जनवरी –जून 2021)	राशि– 33840.00
3.	ऑनलाइन प्रश्न पत्र (जुलाई–दिसम्बर 2021)	राशि– 41931.00
	राशि –	111276.00
	IGST @ 18% -	20029.68
	कुल राशि –	1,31,305.68
	(Round off) - कुल देयक राशि –	1,31,306.00

अतः भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 12 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के शैक्षणिक सत्र 2022–23 के Academic, Pre & Post Examination and Other Work के लिए निविदा प्रसारित करने या दिनांक 13.08.2021 को सत्र 2021–22 के लिए MICS भोपाल एवं कुलसचिव के मध्य उक्त कार्यो के लिए हुए अनुबंध को आगामी शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु एक वर्ष के लिए वृद्धि किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के Academic, Pre & Post Examination and Other Work के लिए शिक्षा सत्र 2021–22 के कार्यो के संपादन हेतु कुलसचिव एवं MICS भोपाल के मध्य दिनांक 13.08.2021 को अनुबंध किया गया था। उक्त अनुबंध की समय सीमा दिनांक 13.08.2022 तक है।

शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए उपरोक्त कार्यो के संपादन हेतु निविदा प्रसारित करने या विगत वर्ष 2021–22 के लिए MICS भोपाल एवं कुलसचिव के मध्य हुए अनुबंध को MICS भोपाल के प्राप्त सहमति पत्र दिनांक 13.05.2022 के अनुसार सत्र 2021–22 के अनुबंधित दरों एवं शर्तो के अनुरूप सत्र 2022–23 के Academic, Pre & Post Examination and other work के लिए कार्यवृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है।

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार समयावभाव को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के Academic, Pre & Post Examination and other work को गति प्रदान करने के लिए MICS भोपाल एवं कुलसचिव के मध्य हुए अनुबंध को आगामी शिक्षा सत्र 2022–23 के लिए वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय :–

MICS भोपाल एवं कुलसचिव के मध्य हुए अनुबंध को आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए वृद्धि करने की सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अनुबंध की शर्तों एवं दरों में परिवर्तन नहीं किया जाय।

विषय क्रमांक – 13 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

नवनिर्मित कन्या छात्रावास के शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्ताव।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कन्या छात्रावास मैं कार्यरत सुश्री पल्लवी सिंह, प्रभारी अधिक्षिका के द्वारा आवेदन क्रमांक 16/कन्या छात्रावास/श.म.क.वि.वि.ब./2022 जगदलुपर दिनांक 20.05.2022 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022–23 से कन्या छात्रावास संचालित किया जाना है इस हेतु नवनिर्मित कन्या छात्रावास के शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1.	Addmission fees	-	100/-
2.	Room Rent	-	3600/year
3.	Fees for Electricity & Water Suply	-	1450/-
4.	Amalgamated fee Hostal	-	1000/-
5.	Fees for Extar Curriculor Activities	-	500/-
	कुल राशि		6650/– प्रति वर्ष

पुनः संशोधित प्रस्ताव निम्नानुसार है रखा गया था :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर में शैक्षणिक सत्र 2022–23 से कन्या छात्रावास संचालित किया जाना है, जिसका वार्षिक शुल्क राशि रू. 8000/– (आठ हजार रूपये) प्रस्तावित है। संशोधित शुल्क की विस्तृत संरचना प्रस्तुत है :–

1.	Admission fees	-	Rs. 500/ Year
2.	Room Rent	-	Rs. 3600/ Year
3.	Fees for Electricity & Water Suply	-	Rs. 1400/ Year
4.	Amalgamated Hostal	-	Rs. 1000/ Year
5.	Fees for Extra Curriculor Activities	-	Rs. 500/ Year
6.	Caution Money (One time)	-	Rs. 1000
	कुल राशि		8000/– प्रति वर्ष

उपरोक्त के अतिरिक्त भोजन/मेस एवं अन्य व्यय छात्राओं को स्वयं व्यय करना होगा। हास्टल संचालन के संबंध में संलग्न नियमावली, परिचय पत्र आदि का प्रारूप का अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ किये जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय :–

कार्यपरिषद के एक महिला सदस्य, विश्वविद्यालय के नियमित महिला सहायक प्राध्यापक, प्रभारी अधीक्षिका एवं अन्य सदस्यों की समिति गठित कर निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। तत्पश्चात समिति का रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक – 14 (विश्वविद्यालय के स्थापना प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों/शासकीय सेवकों के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने विषयक्।

विभागीय टीप :–

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 7/2022 दिनांक 08.04.2022, वित्त निर्देश 8/2022 दिनांक 26.04.2022, वित्त निर्देश 11/2022 दिनांक 11.05.2022 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 341 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 अनुसार दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये लागू नवीन पेंशन अंशदायी योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल किया गया है।

कृपया अवगत हों कि शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में पदस्थ नियमित अधिकारियों, राज्य विश्वविद्यालय सेवा के नियमित अधिकारियों, शैक्षणिक पदों पर नियुक्त प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 05.05.2022 सौंपने पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को पत्र क्रमांक/3005/श.म.क.वि.वि.ब./निज सहा./2022 जगदलपुर दिनांक 05.05.2022 के माध्यम से शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में पदस्थ नियमित अधिकारियों, राज्य विश्वविद्यालय सेवा के नियमित अधिकारियों, शैक्षणिक पदों पर नियुक्त प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं व्यांख्याताओं तथा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के उपरोक्त वित्त निर्देश के अनुसार नवीन पेंशन अंशदायी योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया है। परंतु आज दिनांक तक शासन स्तर से अपेक्षित कार्यवाही किये जाने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

अतः शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में पदस्थ नियमित अधिकारियों, राज्य विश्वविद्यालय सेवा के नियमित अधिकारियों, शैक्षणिक पदों पर नियुक्त प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं व्याख्याताओं तथा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 29/2002 के अनुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के उपरोक्त वित्त निर्देश के अनुसार नवीन पेंशन अंशदायी योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने एवं छत्तीसगढ़ भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित करने तथा इस विश्वविद्यालय में पदस्थापना अवधि के दौरान नवीन पेंशन अंशदायी योजना के अनुसार कटौती की गई कर्मचारी अंशदान की राशि को छत्तीसगढ़ भविष्य निधि खाता क्रमांक में जमा करने के संबंध में विचार/निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

राज्य शासन से आदेश/निर्देश प्राप्त होने पर शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में शासन से विधिवत पत्राचार किया जावे।

विषय क्रमांक – 15 (विश्वविद्यालय के स्थापना प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर में शासन द्वारा स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 अन्तर्गत पदों एवं प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित पदों को छोड़कर) स्तर के पदों पर भर्ती हेतु विनियम तैयार करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर (पूर्व नाम बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर) की वर्ष 2008 में स्थापना पश्चात समय–समय पर छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत गैरशैक्षणिक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 अन्तर्गत पदों एवं प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित पदों को छोड़कर) स्तर के पदों पर भर्ती हेतु छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार विनियम का प्रारूप तैयार किया गया है।

विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2021/38–2 दिनांक 17.03.2022, दिनांक 11.04.2022 एवं दिनांक 28.04.2022 तथा अपर संचालक (वित्त), कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 879/66/आउशि/विविअनु/2022 दिनांक 23.03.2022 (दिनांक 18.05.2022 को प्राप्त) के द्वारा निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है–

1. विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी (अशैक्षणिक पद)
2. प्रस्तावित पद सीधी भर्ती के पद हैं या नहीं
3. अद्यतन भर्ती नियम की प्रति

चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् से स्वीकृत गैरशैक्षणिक द्वितीय श्रेणी स्तर के पदों पर भर्ती हेतु विश्वविद्यालय विनियम–38 है। परन्तु विनियम में उल्लेखित प्रावधान एवं प्रक्रिया वर्तमान परिदृश्य में छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार नहीं है। अतः विश्वविद्यालय परिनियम–20 (यथा संशोधित), छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 यथा संशोधित तथा छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार प्रावधान करते हुए विनियम–38 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन विनियम–38 का प्रारूप अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद की 37वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 में एजेंडा के रूप में रखा गया था, परंतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः कार्यपरिषद की आगामी बैठक में विचार/निर्णय हेतु प्रकरण एजेंडा में सम्मिलित किया जा सकता है।

निर्णय :–

नवीन विनियम–38 के प्रारूप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 16 (विश्वविद्यालय के स्थापना प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर के नवीन विनियम–91 में संशोधन करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर (पूर्व नाम बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर) की कार्यपरिषद की 29वीं बैठक दिनांक 03.11.2020 के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक–3 में उल्लेखित प्रस्ताव पर कार्यपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार अधिसूचना क्रमांक 827/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 09.11.2020 द्वारा नवीन विनियम–91"बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैरशैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2020" लागू किया गया है।

उक्त विनियम लागू किये जाने पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 287 दिनांक 22.05.2021 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का नाम शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर किये जाने, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सातवॉ वेतनमान लागू किये जाने के संबंध में छ.ग.शासन, वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त होने, वर्तमान परिदृश्य में छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों एवं निर्देशों के द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैरशैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के सबंध में योग्यता, अर्हता आदि में संशोधन किये जाने के कारण नवीन विनियम–91"बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैरशैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2020" में प्रथम संशोधन किया जाना है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अद्यतन भर्ती नियम की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

नवीन विनियम–91 ''बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैरशैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2020'' में प्रथम संशोधन का प्रारूप अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष रखा जा सकता है।

निर्णय :–

नवीन विनियम–91 में प्रस्तावित प्रथम संशोधन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 17 (विश्वविद्यालय के स्थापना प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

राज्य शासन के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 अनुसार दिनांक 01.05.2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर के संबंध में।

विभागीय टीप :–

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक/265/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.05.2022 वित्त निर्देश 09/2022 के अनुसार वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 583/एफ 2013–04–00416/ वि/नि/चार, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई, 2019 से सातवें वेतनमान में 17: की दर से तथा छठवें वेतनमान में 164: की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया गया है:–

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवॉ वेतनमान	दिनांक 01.05.2022	5%	22%
छठवॉ वेतनमान	दिनांक 01.05.2022	10%	174%

(2) राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि :–

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 01.05.2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इस आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

अतः उपरोक्तानुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों के वेतन में 5 प्रतिशत वृद्धि किये गये महंगाई भत्ते की राशि माह मई, 2022 के वेतन में जोड़ कर भुगतान करने का आदेश है।

अतः उपरोक्त वित्त निर्देश 09/2022 दिनांक 02.05.2022 को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग वित्त निर्देश 29/2002 दिनांक 02.05.2022 के परिपालन में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.05.2022 से लागू करने के संबंध में कार्यपरिषद की आगामी बैठक में विचार/निर्णय हेतु प्रकरण एजेंडा में सम्मिलित किया जा सकता है।

निर्णय :–

वित्त निर्देश 09/2022 दिनांक 02.05.2022 के अनुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 01.05.2022 से लागू करने के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 18 (विश्वविद्यालय के स्थापना प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक सत्र 2022–23 एवं आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए संविदा सहायक प्राध्यापकों/संविदा व्याख्याताओं एवं अतिथि व्याख्याताओं के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में विनियम का अनुमोदन।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक सत्र 2022–23 एवं आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए संविदा सहायक प्राध्यापकों/संविदा व्याख्याताओं एवं अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में विनियम का प्रारूप तैयार करने के लिये कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा, विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अनुमोदन से कार्यालयीन आदेश क्रमांक/0163/585/सा.प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 13/04/2022 एवं आदेश क्रमांक/0165/585/सा.प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा गठित समिति द्वारा विनियम का प्रारूप तैयार किया गया है।

अवगत हो कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु छ.ग. शासन, वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये शासकीय व्यय में मितव्ययता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त निर्देश 14/2021 दिनांक 26/04/2021 के अनुसार पुनः वित्तीय अनुमति के लिये छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब एवं वित्तीय अनुमति तथा रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती प्रकिया पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 एवं आगामी शैक्षणिक वर्ष में सत्र आरंभ से अध्ययन–अध्यापन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियॉं संपादित करने हेतु संविदा सहायक प्राध्यापकों/संविदा व्याख्याताओं एवं अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं का चयन एवं नियुक्ति पुनः आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 एवं आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए किया जाना अतिआवश्यक है। इस हेतु विनियम का प्रारूप तैयार किया गया है। विनियम की प्रारूप अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद की आगामी बैठक में विचार/निर्णय हेतु प्रकरण एजेंडा में सम्मिलित किया जा सकता है।

निर्णय :–

प्रस्तुत विनियम क्रमांक–116 के प्रारूप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 19 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 108, भाग 4 में राज्य शासन के अधिसूचना अनुसार संशोधन बाबत्।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के द्वारा विनियम क्रमांक 108, वि.वि. अधिनियम 1973 की धारा 40 के अंतर्गत निर्मित भाग 4 के अंतर्गत क्रय प्रक्रिया की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09 मई 2022 अधिसूचना क्रमांक एफ 20– 70/2004/11/(6) के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन/विलोपन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नियम 4, 5, 7, 12, 15 (में एक से उन्नीस तक संशोधन/विलोपन) किये गये हैं। अतः उक्त राज्य शासन के उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से विश्वविद्यालय विनियम 108 भाग 4 में उक्त संशोधन/विलोपन मान्य करने सूचनार्थ एवं स्वीकृति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 20 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

केन्द्रीय जेल, जगदलपुर के मुद्रणालय से 80000 प्रतियां अतिरिक्त पूरक उत्तर पुस्तिकाऐं मुद्रित करवाने के संबंध मे।

विभागीय टीप :–

कार्यपरिषद की 35वीं बैठक दिनांक 23/12/2021 के विषय क्रमांक 15 में स्वीकृति मिलने के बाद केन्द्रीय जेल, जगदलपुर को विश्वविद्यालय द्वारा 8 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका एवं 4 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रण हेतु मुद्रणादेश क्रमांक/04/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22, जगदलपुर, दिनांक 01/01/2022 प्रेषित किया गया। परीक्षाऐं ऑनलाईन/ब्लैंडेड मोड में आयोजित होने के कारण परीक्षार्थियों को प्रत्येक मुख्य उत्तर पुस्तिका के साथ एक पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदाय किया जा रहा है। इस कारण अनुमानित खपत को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत दर पर केन्द्रीय जेल, जगदलपुर को मुद्रणादेशित उत्तर पुस्तिकाओं के अतिरिक्त 80000 पूरक उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण का मुद्रणादेश क्रमांक/503/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2022–23 जगदलपुर, दिनांक 27/04/2022 पुनः जारी किया गया है, जिसकी लागत रू. 1,60000=00 (एक लाख, साठ हजार) तक होगी। परिवहन शुल्क प्रत्येक बार रू. 900=00 (नौ सौ) अतिरिक्त देय होगा। अतः माननीय कार्यपरिषद से कार्योत्तर स्वीकृति तदनुसार सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त होने के बाद भुगतान की स्वीकृति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 21 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद से स्वीकृति राशि की सीमा रू. 3.00 लाख (तीन लाख) से ऊपर करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के द्वारा विनियम क्रमांक 108, वि.वि. अधिनियम 1973 की धारा 40 के अंतर्गत निर्मित संरल क्रमांक 3 में माननीय कार्यपरिषद अधिनियम की धारा 24 (iv), (v), (vi) में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय व्यय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु बजट शीर्ष में दिए गए प्रावधानों की सीमा के अंतर्गत एक लाख रूपयो से अधिक एवं प्रावधानों की सीमा तक व्यय स्वीकृत हेतु सक्षम होगी। अतः विश्वविद्यालय प्रस्तावित करती है चूंकि शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20– 70/2004/11/(6) के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन/विलोपन किया गया है, तद्नुसार लागत रू. 3.00 (तीन लाख) से अधिक के विषय माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे एवं रू. 3.00 (तीन लाख) तक की व्यय की स्वीकृति माननीय कुलपति द्वारा दी जा सकेगी। अनुमोदन की प्रत्याशा में विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 22 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

तृतीय दीक्षांत समारोह हेतु विभिन्न मुद्रण कार्य से संबंधित Smriti Galaxy India, Agrasen Chowk, Jagdalpur से प्राप्त देयकों की राशि भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

तृतीय दीक्षांत समारोह 5 मार्च 2022 के लिए विभिन्न दस्तावेजों, उद्बोधन बुक, बैनर इत्यादि मुद्रण करवाया गया है। उक्त सामग्रियों के मुद्रण हेतु निविदा में स्वीकृत फर्म Smriti Galaxy India, Agrasen Chowk, Jagdalpur को कार्यपरिषद की 35वी बैठक दिनांक 23/12/2021 विषय क्रमांक 11 के अनुसार अनुबंध अवधि 31 मार्च 2022 तक वृद्धि किया गया। तृतीय दीक्षांत से संबंधित मुद्रण हेतु उक्त फर्म को कार्यादश क्रमांक/210/भण्डार–दीक्षांत 3/श.म.क.वि.वि./2021–22, जगदलपुर, दिनांक 16/02/2022 जारी किया गया। कार्यपरिषद की 37वीं बैठक दिनांक 29/03/2022 विषय 24 में उक्त मुद्रक के कुल रू. 634825=00 (छः लाख, चौतीस हजार, आठ सौ पच्चीस) की भुगतान की स्वीकृति ली गई थी तथा 04 अप्रेल 2022 को मुद्रक ने शेष देयक क्रमांक 2,3,5,6,7 एवं 8 प्रस्तुत किया है, जिसकी कुल लागत GST सहित रू. 412577=00 (चार लाख, बारह हजार, पांच सौ सतत्तर) मात्र है। प्राप्त देयकों का वित्तीय परीक्षण कर भुगतान योग्य देयकों का भुगतान करने की प्रत्याशा में विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 23 (विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्र-WPS No. 2853/2022, Dated 25.04.2022 में पारित निर्णय के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्र.WPS No. 2853/2022, Dated 25.04.2022 में पारित निर्णय की प्रति माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दायर याचिका क्र.WPS No. 2853/2022, Dated 25.04.2022 में पारित निर्णयानुसार – "It is However made clear that the protection to the petitioners would be only to the extent of not being replaced by another set of Guest Lecturer. This would not preclude the State Government from going for filling up of the post by way of a regular appointment or by way of engaging contractual lecturers under the rules for contractual employment** जिसके अनुसार याचिकाकर्ता अतिथि व्याख्याता शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत चयनित किये गये हैं। संबंधित अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति उस पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति अथवा नियमानुसार संविदा भर्ति किये जाने की स्थिति में स्वमेव समाप्त होगा।

2. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्र. WPS No. 2853/2022, Dated 25.04.2022 में पारित निर्णय के परिपालन में उपरोक्तानुसार 11 याचिकाकर्ता के साथ–साथ विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य अतिथि व्याख्याताओं को भी उस पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति अथवा नियमानुसार संविदा भर्ति किये जाने तक अकादमिक कैलेण्डर अनुसार एवं छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर शैक्षणिक कार्यों हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :–

याचिकाकर्ताओं के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त याचिका में दिये गये आदेश का पालन किया जावे। विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य अतिथि व्याख्याताओं के लिए उक्त याचिका में दिये गये आदेश लागू किया जा सकता है अथवा नहीं, के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता/महाधिवक्ता कार्यालय से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया जावे।

विषय क्रमांक – 24

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के EPF नियोक्ता अंशदान प्रदाय करने के संबंध में।

विभागिय टीप :–

विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियुक्ति माह से अक्टूबर 2021 तक का EPF नियोक्ता अंशदान का गणना पत्रक तैयार किया गया है। उक्त गणना पत्रक के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित है।

निर्णय :–

नियमानुसार कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

अंकेक्षण शुल्क राशि रू. 7,42,442/– भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागिय टीप :–

ज्येष्ठ संपरीक्षा स्थानीय निधि संपरीक्षक, जगदलपुर के पत्र क्रमांक/आडिट/ब.वि.वि./2022/22 दिनांक 17.05.2022 के अनुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अर्थवर्ष 2016–17 से 2018–19 के अंकेक्षण शुल्क राशि रू. 7,42,442/– भुगतान किया जा सकता है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

CSIDC/E-manak द्वारा क्रय किये गये Sai Info Services, Mathpurena, Raipur से 70 कम्प्यूटर सेट के देयक भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागिय टीप :–

कार्यपरिषद की 35 वीं बैठक दिनांक 23/12/2021 विषय क्रमांक 22 में एम.बी.ए., एम.सी.ए. एव बी.एड. भवनों के कम्प्यूटर लैब के लिए कुल रू. 50.00 (पचास लाख) के अंतर्गत 100 कम्प्यूटर सेट क्रय करने की अनुमति माननीय कार्यपरिषद द्वारा दी गई थी। तद्नुसार CSIDC/E-manak से Purchase Order No. 322033000045, Date- 31.03.2022 द्वारा Sai Info Services, Mathpurena, Raipur से कुल 70 कम्प्यूटर सेट क्रय किये गये हैं। प्राप्त Invoice No. 124, Date 12.05.2022 के अनुसार जिसकी लागत GST, Inspection Charge सहित रू. 47,88313 =00 (सैंतालिस लाख, अठ्ासी हजार, तीन सौ तेरह) है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय परीक्षण उपरांत उक्त देयक का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। विषय भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

27/5/2022
कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

27/05/2022
कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)